

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०६/०२/२०२१

क्रमांक २५६ /१८८१/२०२०/३८/१ :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक २१.०८.२०२० द्वारा डॉ. बृजेश कुमार जोशी, सह प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-१९७६ के नियम-४२ के उपनियम (१) खण्ड (ए) के अंतर्गत दिनांक ०१.०४.२०२० से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया गया है, के स्थान पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक ३१.०३.२०२० पढा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
( श्वेता पवार )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक ०६/०२/२०२१

पृ.क्रमांक २५७ /१८८१/२०२०/३८/१

प्रतिलिपि :-

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
२. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
३. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
४. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
५. जिला कोषालय अधिकारी, बडवानी,
६. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
७. प्राचार्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी,
८. संबंधित डॉ. बृजेश कुमार जोशी, सह प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग